



संवाद सेतु

मीडिया का आत्मावलोकन

अंक 26

पृष्ठ 26

जुलाई, 2020

नई दिल्ली



संपादकीय

संपादक

आशुतोष भट्टनागर

कार्यकारी-संपादक

डॉ. जयप्रकाश सिंह

उप-संपादक

सूर्य प्रकाश

रविंद्र सिंह भड़वाल

डिजाइनिंग

राजीव पांडे

ई-मेल :

samvadsetu2011@gmail.com

फेसबुक पेज

@samvadsetu2011

अनुरोध

संवादसेतु की इस पहल पर आपकी टिप्पणी एवं सुझावों का स्वागत है। अपनी टिप्पणी एवं सुझाव कृपया उपरोक्त ई-मेल पर अवश्य भेजें।

‘संवादसेतु’ मीडिया सरोकारों से जुड़े पत्रकारों की रचनात्मक पहल है। ‘संवादसेतु’ अपने लेखकों तथा विषय की स्पष्टता के लिए इंटरनेट से ली गई सामग्री के रचनाकारों का भी आभार व्यक्त करता है। इसमें सभी पद अवैतनिक हैं।

अनुक्रम

आवरण कथा

मीडिया ‘मेड इन चाइना’
(पृष्ठ 4-5-6)

समाज संवाद

फेक न्यूज का कारोबार
(पृष्ठ 7-8-9-10)

आलेख

पाकिस्तान: धारावाहिक के भरोसे इतिहास
(पृष्ठ 11-12-13)

विमर्श

दृश्य परंपरा और इतिहास
(पृष्ठ 14-15-16)

आत्मावलोकन

जब आर्गेनाइजर ने लड़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई
(पृष्ठ 17-18)

ग्लोबल मीडिया

मीडिया के चीनी मिशन
(पृष्ठ 19-20)

समीक्षा

सच्चाई को दिखाने का साहसी प्रयास ‘द जज’
(पृष्ठ 21-22)

शब्दावली

कीबोर्ड करेज
(पृष्ठ 23-24)

दृश्य संवाद

एप्स प्रतिबंध: पता चल गया है चीन की जान किस तोते में बसती है!
(पृष्ठ 25-26)



स्वतंत्रता के पूर्व 'प्रभा', 'कर्मवीर' और 'प्रताप' जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों का सम्पादन करने वाले श्री मारवन लाल चतुर्वेदी द्वारा 5 जुलाई 1921 को लिखी कविता 'पुष्प की अभिलाषा' का आज शताब्दी दिवस है। स्वतंत्रता आन्दोलन के योद्धाओं को प्रेरणा देने वाली यह कविता सौ वर्ष बाद भी आज प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। चतुर्वेदी ने इसे बिलासपुर केन्द्रीय जेल की बैरक नं. 9 में लिखा था जहां वे अंग्रेजी हुक्मत को चुनौती देने के आरोप में बंदी थे। उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यदि देश और समाज के मिजाज को भाँपते हुए उसके सरोकार पत्रकार की कलम से निकलेंगे तो दीर्घजीवी होंगे, परिणामकारी होंगे, पत्रकार को भी पहचान देंगे।

पत्रकारिता को जल्दी में लिखा गया साहित्य कहने का चलन है। पत्रकार की कलम से निकले शब्दों को साहित्य की कोटि में रखना अनेक लोगों को इसलिए नहीं भाता क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम होती है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जब पत्रकार की कलम ने जिन शब्दों का संयोजन किया, वे अमर हो गए।

पत्रकार की रचना इसलिए अल्पजीवी होती है, क्योंकि अधिकतर लेखन तात्कालिक और नकारात्मक घटनाओं का विवरण मात्र होता है। कुछ घंटों में अप्रासंगिक हो जाना उसकी नियति है। किन्तु जब वही पत्रकार किसी राष्ट्रीय अथवा मानवीय सरोकार के प्रश्न पर अपनी आत्मा के स्वर को शब्द देता है तो वह उतनी ही उम्र प्राप्त कर लेता है जितनी उस सरोकार की होती है।

स्वतंत्रता के पूर्व 'प्रभा', 'कर्मवीर' और 'प्रताप' जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों का सम्पादन करने वाले श्री मारवन लाल चतुर्वेदी द्वारा 5 जुलाई 1921 को लिखी कविता 'पुष्प की अभिलाषा' का आज शताब्दी दिवस है। स्वतंत्रता आन्दोलन के योद्धाओं को प्रेरणा देने वाली यह कविता सौ वर्ष बाद भी आज प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। चतुर्वेदी ने इसे बिलासपुर केन्द्रीय जेल की बैरक नं. 9 में लिखा था जहां वे अंग्रेजी हुक्मत को चुनौती देने के आरोप में बंदी थे।

उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यदि देश और समाज के मिजाज को भाँपते हुए उसके सरोकार पत्रकार की कलम से निकलेंगे तो दीर्घजीवी होंगे, परिणामकारी होंगे, पत्रकार को भी पहचान देंगे।

केवल पत्रकारिता ही नहीं, संवाद के जितने भी माध्यम हैं, उनके 'भाषा-भावों के छन्द-बन्ध' छीज गए हैं। सृजन के बजाय शब्दों का उत्पादन हो रहा है। बाजार के कुछ यथार्थ और कुछ काल्पनिक दबावों के चलते कुंठित कलम रचनाधर्मिता से दूर हो रही है। क्या कारण है कि आज नए शब्द और नए मुहावरे पत्रकारों द्वारा नहीं बल्कि राजनेताओं द्वारा गढ़े जा रहे हैं और पत्रकारिता उन्हें ढो रही है? क्या कारण है कि आज भी राष्ट्रीय प्रश्नों की व्याख्या के लिए दिनकर और निराला की पंक्तियां ही माध्यम बनती हैं? क्या कारण है कि आज भी द्वूमते बारातियों के पांव मेरे देश की धरती पर ही थिरक उठते हैं।

कहीं तो कुछ छूट गया है, खो गया है। क्या समाज के सीधे प्रश्नों को संबोधित करने की क्षमता संवाद माध्यम खो चुके हैं? क्या उनकी इच्छाशक्ति चूक गई है? क्या रोटी के सवाल नैतिकता पर हावी हैं? और क्या इन सवालों से नजरें चुरा कर अंदर का पत्रकार जी सकेगा?

इन प्रश्नों की खोज आवश्यक है और आवश्यक है मीडिया का आत्मावलोकन, जिसकी पहल के रूप में संवादसेतु आपके समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

आपका संपादक
आशुतोष भट्टनागर

मीडिया ‘मेड इन चाहना’



पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि देश के बयान को सच न मानकर जिन अपुष्ट तथ्यों और प्रायोजित प्रश्नों को सच के रूप में परोसा जा रहा है, उनका सोर्स पता किया जाना चाहिए। यदि स्रोत की पहचान हो जाए तो भारतीय मीडिया के उस वर्ग की मानसिकता और हितों की आसानी से पहचान की जा सकती है।

चित्र : ग्राफ़िक्स इमेज से सामर

□ डॉ. जयप्रकाश सिंह

22 जून को एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान सेवानिवृत्त लेफिटनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने भारतीय सूचना-तंत्र पर कटाक्ष करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उनके अनुसार सेना और सरकार के अधिकारिक बयान के बारे में भारतीय मीडिया का एक वर्ग संदेह पैदा करना चाहता है। इस वर्ग की तरफ से ऐसे अपुष्ट तथ्य सामने रखे जा रहे हैं, जिनसे राष्ट्रीय हित को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि देश के बयान को सच न मानकर जिन अपुष्ट तथ्यों और प्रायोजित प्रश्नों को सच के रूप में परोसा जा रहा है, उनका सोर्स पता किया जाना चाहिए। यदि स्रोत की पहचान हो जाए तो भारतीय मीडिया के उस वर्ग की मानसिकता और हितों की आसानी से पहचान की जा सकती है।

स्पष्टतः लेफिटनेंट जनरल शंकर प्रसाद

ग्लोबल टाइम्स के प्रोपेगेंडा को भारत के अधिकारिक बयान पर तरजीह देने वाले मीडिया के एक वर्ग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी स्थिति में शत्रु के बयान को अधिक बजन देकर भारतीय मीडिया का एक वर्ग क्या साबित करना चाहता है? वह भारतीय मीडिया के उस वर्ग के बारे में अपनी खोझ व्यक्त कर रहे थे, जो 16 जून के बाद ग्लोबल टाइम्स के दृष्टिकोण, तथ्य और बयानों को अंतिम सच मानकर ज्यों का त्यों स्वीकार रहा था।

ऐसी ही एक बहस में हायब्रिड वारफेयर पर विशेषज्ञता रखने वाले लेफिटनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने राय दी कि गलवान-संघर्ष ने चीन के उस मनोवैज्ञानिक लाभ को ध्वस्त कर दिया है, जो उसने 1962 के युद्ध के बाद हासिल किया था। यह साबित हो गया है कि जमीन पर चीन, भारतीय सेना से बहुत कमज़ोर है। गलवान का सैन्य महत्व तो

है ही, उससे अधिक महत्व मनोवैज्ञानिक है।

इन दोनों टिप्पणियों को केन्द्र में रखकर 16 जून के बाद भारतीय मीडिया के व्यवहार को देखें तो कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं उभरती। निर्णायक मौकों पर अपने देश, सेनाए सरकार को लेकर वह अजीब तरह के हीनताबोध का प्रदर्शन करती है। शल्य वृत्ति उसके भीतर बहुत गहरे तक धंसी हुई है।

भारतीय मीडिया के एक वर्ग की यह प्रवृत्ति हायब्रिड वारफेयर, या फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के वर्तमान दौर में देशहित को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। युद्ध की नई शैली सीमा और सैनिकों तक सीमित नहीं हैं। सूचना-तंत्र और सूचना-प्रवाह इसका अहम हिस्सा हो चुके हैं। इस लिहाज से पत्रकार देश की सुरक्षा की अहम कड़ी बन चुके हैं। सोशल-मीडिया के आने के बाद तो प्रत्येक नागरिक, उसकी सोच और अभिव्यक्ति की भी युद्ध में निश्चित भूमिका तय हो जाती है।

ऐसे में पेशेवर मीडिया से संबंध रखने

वाले लोग 'मेड इन चाइना वर्जन' को अधिक तरजीह देकर देश की सुरक्षा और सम्प्रभुता के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं? इसका रहस्य भेदन करना राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ खुले एक महत्वपूर्ण मोर्चे को फतह करने जैसा है। आखिर क्या कारण है कि अपने ऊल-जलूल शीर्षकों के लिए पहचान बना चुका अंग्रेजी अखबार भारत-चीन संघर्ष के बाद बड़े निर्लज्जतापूर्वक यह शीर्षक लगाता है कि उन्होंने हमें घर में घुसकर मारा। इस शीर्षक से देशवासियों और सेना को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही थी और इससे किसके हितों की पूर्ति हो रही थी, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है।

क्या कारण है कि ग्लोबल टाइम्स के इस निष्कर्ष को कि चीन में भारतीय प्रधानमंत्री के आधिकारिक बयान की बहुत प्रशंसा हो रही है, हमारे अखबार ज्यो का त्यों प्रकाशित करते हैं? यह जानते हुए कि ग्लोबल टाइम्स की हैसियत चीनी सत्ता-प्रतिष्ठान के प्रोपेंडा-मशीन से अधिक कुछ नहीं हैं। यही ग्लोबल टाइम्स पिछले पांच सालों से भारतीय प्रधानमंत्री को अतिराष्ट्रवादी रखवैये के लिए कोसता रहा है। उसकी यह स्टोरी प्रधानमंत्री की राष्ट्रवादी और मजबूत निर्णय लेने वाली छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान्ट की गई थी।

भारत का मीडिया उसकी चाल में फँसाए और उसके बाद कुछ राजनीतिक दल भी।



चित्र : गृहल-इमेज से सामार

व्याकारण है कि ग्लोबल टाइम्स के इस निष्कर्ष को कि चीन में भारतीय प्रधानमंत्री के आधिकारिक बयान की बहुत प्रशंसा हो रही है, हमारे अखबार ज्यो का त्यों प्रकाशित करते हैं? यह जानते हुए कि ग्लोबल टाइम्स की हैसियत चीनी सत्ता-प्रतिष्ठान के प्रोपेंडा-मशीन से अधिक कुछ नहीं हैं...

यह एक वेल-डिजाइन और वेल-टारगेटेड स्टोरी थी।

ऐसा नहीं है कि ग्लोबल टाइम्स की भारतीय प्रधानमंत्री की मजबूत और निर्णायक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अपने तरह की पहली कोशिश हो। भारत में 2019 में होने वाले आम चुनावों के ठीक पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहते हुए सबको हैरत में डाल दिया था कि

यदि चुनावों में मोदी जीतते हैं तो भारत और पाक के शांति-प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इससे पहले इमरान खान मोदी को हठी और शांति-प्रक्रिया का दुश्मन बताते रहे हैं। जाहिर है यह बयान मोदी को चुनावों में नुकसान पहुंचाने और उस फर्जी नैरेशन को मजबूत करने के लिए दिया गया था, जिसमें पुलवामा हमलों के लिए मोदी और पाकिस्तान की मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। चुनाव समाप्त होने के बाद ए नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इमरान खान ने फिर भूलकर भी ऐसा बयान नहीं दिया। स्पष्ट है कि सूचना-संग्राम का अपना आकलन, अपने निशाने और रणनीति होती है, जिसे समग्र परिप्रेक्ष्य में रखे बगैर समझा नहीं जा सकता।

ऐसा नहीं कि भारतीय मीडिया का जो वर्ग चायनीज वर्जन को अंतिम मानकर परोस रहा है, उसे मीडिया के जरिए लड़ी जाने लड़ाई और उसके तौर-तरीकों का पता न हो। इनमें से अधिकांश कई दशकों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं, इसलिए उनकी समझ पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिर दो ही

संभावनाएं बचती हैं, या तो वे घरेलू राजनीतिक-संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खींचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनकी निष्ठा देश के प्रति कभी रही नहीं हैं, और अन्य देशों के मीडिया आउटलेट का एक्सटेंशन काउंटर के रूप में कार्य रहे हैं। हो सकता है कि यह दोनों बातें साथ-साथ काम रही हों।

भारतीय मीडिया के मेड इन चाइना संस्करण को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अविश्वसनीय होना चीन की सबसे बड़ी पहचान है। चीन और उसके उत्पादों के बारे में कोई भी किसी भी तरह का दावा करने से बचता है। दुकानदार, खरीददार सभी का चीनी उत्पादों के बारे में मूल्यांकन यही होता है— चीनी सामान है, कितने दिन चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं।

वहां की पत्रकारिता को लेकर अविश्वास तो और भी अधिक है। क्योंकि अभी दुनिया में जिन कुछ देशों में आयरन कर्टेन पॉलिसी शिव्हित के साथ लागू की जाती है, उनमें चीन सबसे ऊपर है। ऐसे में मेड इन चाइना वर्जन के सहारे भारत में पत्रकारिता करना राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक तो है ही, पत्रकारीय-मूल्यों के लिहाज से भी यह गर्त में जाने जैसा है।

चायनीज मीडिया के भारतीय संस्करणों को जून, 2020 के तीसरे सप्ताह में यह बात समझ में आ गई होगी कि किसी दूसरे देश का भोंपू बनने और वास्तविक खबर के बीच अंतर करने का कौशल अब भारतीय जनता में आ गया है। इसलिए पत्रकारिता के मूल्यों की दुहाई देकर देशहित के साथ खिलवाड़ करने का खेल भी वह अच्छी तरह समझने लगी है। अब चीन के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले शुन झू की बिना लड़े युद्ध जीतने की नीति भारत में आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में

चीन और भारत में काम कर रहे मेड इन चाइना वर्जन को स्वीकार करने वाले मीडिया का अवसाद और अवमूल्यन की तरफ बढ़ना बहुत स्वाभाविक है।

लेखक मीडिया विश्लेषक हैं।

चायनीज मीडिया के भारतीय संस्करणों को जून, 2020 के तीसरे सप्ताह में यह बात समझ में आ गई होगी कि किसी दूसरे देश का भोंपू बनने और वास्तविक खबर के बीच अंतर करने का कौशल अब भारतीय जनता में आ गया है। इसलिए पत्रकारिता के मूल्यों की दुहाई देकर देशहित के साथ खिलवाड़ करने का खेल भी वह अच्छी तरह समझने लगी है।



Fake news is
not less than
terrorism...

व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाई गई अफवाहों के कारण नई दिल्ली के आनन्द विहार बस अड्डे पर 28 मार्च, 2020 को अचानक हजारों मजदूर पहुंच गए। वे इस गफलत में पहुंचे कि वहां से उन्हें अपने-अपने राज्य में जाने के लिए बसें मिल रही हैं। इन अफवाहों को फैलाने में आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के नाम सामने आए...



Kavita Krishnan
@kavita_krishnan



फैक्ट न्यूज़ का कारोबार

□ डॉ. प्रमोद कुमार

24 मार्च, 2020 को सरकार ने देशभर में लॉकडाउन लागू किया। मीडिया के माध्यम से अफवाहों का खेल उसी समय शुरू हो गया था। सोशल मीडिया में जहां तमाम तरह के दावे किए जाने लगे, वहीं टेलीविजन और प्रिंट मीडिया में बरती गई असावधानी के कारण स्थिति बेकाबू हो गई। व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाई गई अफवाहों के कारण नई दिल्ली के आनन्द विहार बस अड्डे पर 28 मार्च, 2020 को अचानक हजारों मजदूर पहुंच गए। वे इस गफलत में पहुंचे कि वहां से उन्हें अपने-अपने राज्य में जाने के लिए बसें मिल रही हैं। इन अफवाहों को फैलाने में आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के नाम सामने

आए। लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों के अचानक बस अड्डे पर पहुंच जाने के कारण दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ-पांव फूल गए। जैसे-तैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों का इंतजाम करके मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने का काम किया। उससे अफवाहों का बाजार अन्य राज्यों में भी गर्म हुआ और अलग-अलग स्थानों से हजारों मजदूर पैदल ही अपने अपने गांव की तरफ जाने लगे। उन्हें लेकर मीडिया ने सरकारों पर निशाने दागने प्रारंभ किए। परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ीं। उससे पहले अफवाहों के कारण 19 मई को अचानक हजारों मजदूर मुम्बई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अफवाहें फैलाने

में शामिल थे उसी प्रकार खबरें आई कि मुम्बई में शिव सेना के ही कुछ लोग एक न्यूज़ चैनल की मदद से अफवाहें फैलाने में शामिल पाए गए।

चूंकि देशभर में तब्लीगी जमात के लोगों द्वारा कोरोना फैलाने की खबरें जोर पकड़ रही थीं, इसलिए पंजाब में 1 मई, 2020 को अफवाह फैली कि हजूर साहेब नांदेड से आए हजारों श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुछ श्रद्धालुओं के क्रांतिकारिसंगठन सेंटरों से भाग जाने की भी खबरें आई। बाद में पता चला कि पंजाब सरकार के ही कुछ लोग इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाकर अकाली नेताओं पर निशाना दाग रहे थे। 12 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में स्थित जहांगीराबाद गांव से बहुत ही चौंकाने वाली



Tweet



PIB Fact Check @PIBFactCheck · Apr 6

Fake message is going around on social media claiming that legal action would be taken against admin and group members who post jokes on #Coronavirus, hence group admin should close the group for 2 days.

This is #Fake! No such order has been issued by the Government



खबर आई।
दावा किया गया कि
एक महिला ने अपने

पांच बच्चों को गंगा नदी में इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसके पास उन्हें खिलाने के लिए भोजन नहीं था। प्रशांत भूषण, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे बड़े नाम भी इस अफवाह को फैलाने में शामिल हो गए। बाद में पता चला कि महिला के घर में पर्यास भोजन था और उसने अपने पति से झगड़े के बाद ऐसा कदम उठाया।

अप्रैल में फेसबुक पर एक छोटी बच्ची का फोटो वायरल हुआ। बच्ची के हाथ में पोस्टर था जिस पर लिखा था कि बच्ची कोरोना वायरस से संक्रमित है। बाद में पता

चला कि वायरल हो रही फोटो काफी पुरानी थी और बच्ची को कोविड संक्रमण नहीं कैंसर था। अप्रैल में ही एक पोस्ट व्हॉट्सएप पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि भारत में लॉकडाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन के लॉकडाउन प्रोटोकॉल के मुताबिक की गई है। मैसेज में कहा गया कि 20 अप्रैल से 18 मई के बीच तीसरा चरण लागू होगा। मैसेज में यह भी दावा किया गया कि डब्ल्यूएचओ ने लॉकडाउन की अवधि को चार चरणों में बांटा है। वास्तव में चार चरणों में लॉकडाउन की बात झूठी थी और यह सिर्फ लोगों में भय पैदा करने के इरादे से फैलाई गई थी...

अप्रैल में ही एक पोस्ट व्हॉट्सएप पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि भारत में संगठन के लॉकडाउन प्रोटोकॉल के मुताबिक गया कि 20 अप्रैल से 18 मई के बीच तीसरा चरण लागू होगा। मैसेज में यह भी दावा किया गया कि डब्ल्यूएचओ ने लॉकडाउन की अवधि को चार चरणों में बांटा है। वास्तव में चार चरणों में लॉकडाउन की बात झूठी थी और यह सिर्फ लोगों में भय पैदा करने के इरादे से फैलाई गई थी...

कि व्हॉट्सएप ग्रुप में कोरोना वायरस को लेकर कोई मजाक या जोक साझा किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैसेज में दावा किया कि मजाक या जोक साझा करने पर ग्रुप एडमिन के खिलाफ धारा 68, 140 और 188 के उल्लंघन की ही तरह कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने उसे बाद में फर्जी करार दिया।

लॉकडाउन के दौरान इटली के एक शहर की तस्वीर में ढेर सारी लाशें फैली होने का दावा करते हुए कहा गया कि कोराना के कारण इटली में भारी तबाही हो चुकी है। बाद में पता चला कि वह तस्वीर दरअसल हॉलीवुड फिल्म 'कांटेजिनअन' का एक दृश्य था। एक और तस्वीर वायरल हुई, जिसमें जमीन पर पड़े लोग मदद के लिए चिल्ला रहे

थे। वह तस्वीर 2014 के एक आर्ट प्रोजेक्ट की थी। खबर यह भी आई कि लॉकडाउन के दौरान 498 रुपए का जियो कनेक्शन निःशुल्क मिल रहा है। वह संदेश भी पूरी तरह झूठ था। एक पोस्ट में दावा किया गया कि डा. रमेश गुप्ता नाम के एक लेखक ने जंतु विज्ञान पर लिखी पुस्तक में कोरोना का इलाज होने का दावा किया। वह दावा भी पूरी तरह झूठ पाया गया। हरियाणा के गुडगांव स्थित मेदांता अस्पताल के डा. नरेश त्रेहन की ओर से दावा किया कि उन्होंने देश में आपातकाल लागू करने की अपील की है। परन्तु बाद में डा. त्रेहन ने स्वयं कहा कि उन्होंने इस प्रकार की कभी

अपील नहीं की। एक पोस्ट में दावा किया गया कि कोरोना की दवा खोज ली गई है। बाद में पता चला कि जिस पैकेट को दवा के रूप में बताया गया, वह दरअसल कोरोना जांचने की किट का पैकेट था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि कोरोना वायरस का जीवनकाल 12 घंटे होता है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक स्पष्ट रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि यह वायरस किसी सतह पर कितनी देर जिंदा रहता है। एक और झूठी खबर फैलाई गई कि अस्पतालों में हिन्दू और मुसलमानों के लिए अलग-अलग बिस्तर तैयार किए जा रहे हैं। एक खबर भी चलाई गई कि एक पूरा अस्पताल ही कोरोना संक्रमित हो गया है।


ऐसी खबरों की सूची बहुत लंबी है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के पत्र

सूचना कार्यालय ने फेक न्यूज की जांच के लिए एक स्पेशल 'फैक्टचेक' यूनिट बनाई, जिसमें अखबार, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर चल रही फेक न्यूज की जांच करके एक घटे के अंदर सही जानकारी प्रसारित की जाएगी। यह प्रयोग काफी सफल रहा और पीआईबी की इस यूनिट ने सैकड़ों की संख्या में 'फेक न्यूज' की सत्यता को परखकर लोगों को सही जानकारी दी। इसी दौरान फेसबुक ने भी फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए कुछ कदम उठाए। व्हॉट्सएप ने 7 अप्रैल को मैसेज फॉरवर्डिंग को सीमित कर दिया। टिकटोक ने फेक न्यूज पर 11 मई से रोक लगाना

शुरू कर दिया।
इन सब कदमों के बावजूद

एक पोस्ट में दावा किया गया कि कोरोना की दवा खोज ली गई है। बाद में पता चला कि जिस पैकेट को दवा के रूप में बताया गया, वह दरअसल कोरोना जांचने की किट का पैकेट था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि कोरोना वायरस का जीवनकाल 12 घंटे होता है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक स्पष्ट रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि यह वायरस किसी सतह पर कितनी देर जिंदा रहता है...





'फेक न्यूज' ने मीडिया की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए।

'फेक न्यूज' पर टिप्पणी करते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा: 'यह विकृत मानसिकता और गंदी सोच का प्रतीक है। हताशा और निराशा की इतनी हद हो गई कि लोकतंत्र में जो लोग मत से नहीं जीत सकते वे अफवाहें फैलाकर देशवासियों को संकट में डालना चाहते हैं...'

चाहते हैं। फेक न्यूज प्रेस की आजादी नहीं है।' देश में एक लाख से अधिक अखबार, 800 से अधिक न्यूज चैनल और लाखों वेबसाइट हैं। इसके अलावा देश की अधिसंख्य आबादी के पास मोबाइल फोन हैं। 'फेक न्यूज' इन सभी माध्यमों पर पल

'फेक न्यूज' पर

टिप्पणी करते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश

जावडेकर ने कहा: 'यह विकृत मानसिकता और गंदी सोच का प्रतीक है। हताशा और निराशा

की इतनी हद हो गई कि लोकतंत्र में जो लोग मत से नहीं जीत सकते वे अफवाहें फैलाकर देशवासियों को संकट में डालना चाहते हैं...

भर में घूम जाती है। जब तक सरकारी एजेंसियां सतर्क होती हैं तब तक ऐसी खबरें पूरे विश्व में घूम चुकी होती हैं।

'फेक न्यूज' पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक प्रो.

संजय द्विवेदी कहते हैं, 'मीडिया में जो

'फेक न्यूज' आ रही है उसके पीछे गैर-पत्रकारीय शक्तियां हैं। मीडिया के

आवरण में दूसरे लोग इसके पीछे हैं। मीडिया में आज एक्टिविस्ट बहुत सक्रिय हुए हैं जिनका उद्देश्य पत्रकारिता नहीं, दूसरा ही कुछ होता है। इसीलिए न्यूज चैनल्स 'व्यूज चैनल्स' में तब्दील हो गए हैं। यह चिंता की बात है। प्रभाष जोशी कहा करते थे कि पत्रकार की 'पॉलिटिकल लाइन' तो हो

सकती है परन्तु 'पार्टी लाइन' नहीं होनी चाहिए। आज कोरोना काल में मीडिया में प्रकट पक्षधरता दिख रही है। संपादकों और मीडिया मालिकों को यह तय करना पड़ेगा कि मीडिया के पवित्र मंच का इस्तेमाल भावनाओं को भड़काने और राजनीतिक दुरभिसंधियों के लिए नहीं होने देना चाहिए। जिन्हें 'एक्टिविजम' करना है वे पत्रकारिता को नमस्कार कर दें। मीडिया का काम सत्यान्वेषण है, 'नैरेटिव सेट' करना नहीं। फेक न्यूज के बढ़ते उद्योग के विरुद्ध मीडिया के लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा। अफवाहों के कारण अपनी अपार लोकप्रियता के बावजूद सोशल मीडिया भरोसा हासिल करने में विफल रहा है। इसी कारण लोग भ्रमित हैं। इसलिए आज ऐसा तंत्र खड़ा करने की जरूरत है जहां सूचनाओं का खर्च समाज उठाना शुरू करे। समाज पर आधारित मीडिया अधिक स्वतंत्र और ताकतवर होगा। मीडिया की प्रामाणिकता पर उठते सवाल बहुत चिंता की बात है।'

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।



चित्र : गृगल-इमेज से सामर

पाकिस्तान

धारावाहिक के भरोसे इतिहास

सूचना के युग में सामान्य जन की सामूहिक समझ लगभग सभी विषयों पर मीडिया द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होती है। मीडिया की भूमिका तब और बड़ी हो जाती है, जब कोई देश आत्म-विस्मृति का शिकार हो जाए और पहचान के संकट से गुजर रहा हो। पाकिस्तान इसी प्रकार के रोग से ग्रस्त है...

□ डॉ. शिवपूजन प्रसाद पाठक

वास्तविकता से अधिक महत्वपूर्ण वास्तविकता की प्रस्तुति होती है। इस कार्य को मीडिया सबसे अच्छे ढंग से करती है। सूचना के युग में सामान्य जन की सामूहिक समझ लगभग सभी विषयों पर मीडिया द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होती है। मीडिया की भूमिका तब और बड़ी हो जाती है, जब कोई देश आत्म-विस्मृति का शिकार हो जाए और पहचान के संकट से गुजर रहा हो। पाकिस्तान इसी प्रकार

के रोग से ग्रस्त है। किसी भी देश के लिए अपनी सभ्यता की जड़ों को खोजना स्वाभाविक है, विशेषकर वे देश जो सैकड़ों वर्षों तक परतंत्र रहे हों। वे औपनिवेशिक शासन से प्रताड़ित थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी जड़ें अपनी सभ्यता में न खोजकर, उस जमीन और चिंतन में खोजना चाहता है, जो उसका हिस्सा ही नहीं रहे।

जब करोना का प्रकोप बढ़ा तो भारत में रामायण और महाभारत धारावाहिक का पुनः प्रसारण दूरदर्शन पर प्रारम्भ हुआ। इसी समय पाकिस्तान में भी राष्ट्रीय टीवी पर डिरिलिसः इर्तुग्रुल नाम से एक धारावाहिक का प्रसारण शुरू हुआ। मूलतः यह आटोमान साम्राज्य के स्थापना के पहले के इतिहास का चित्रण करता है। यद्यपि इसमें जेहाद और मध्यकाल में इस्लाम के गौरव को दर्शाया गया है, लेकिन यह इस्लाम की स्थापना या विस्तार के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। इसमें संघर्ष को इस रूप में प्रस्तुत किया

गया है, मानो एक कबीले का सरदार अपना शासन तंत्र स्थापित करना चाहता है। पाकिस्तान इस धारावाहिक को इस्लाम के पराक्रम के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने रमजान महीने के पहले दिन से इसका

प्रसारण उर्दू में शुरू किया। इस धारावाहिक को देखने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से निवेदन किया था। खान ने कहा कि इससे पाकिस्तान के लोग इस्लाम के इतिहास, उसकी संस्कृति और नैतिकता को समझेंगे। अरब देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र ने इस पर रोक लगा रखी है। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र 'द डॉन' के अनुसार सऊदी अरब 40 मिलियन डॉलर का एक 'मलिक ए नूर' नामक

पाकिस्तान की समस्या यह है कि वह 'पहचान के संकट' से गुजर रहा है। पाकिस्तान 1947ई. से पहले भारत था और इसकी उत्पत्ति सम्प्रदाय के आधार पर भारत के विभाजन से हुई है। उसके सामने यह द्वंद है कि वह अपनी जड़ें सिंधुघाटी सभ्यता, तक्षशिला और शारदा पीठ में देखें या इस वास्तविकता को नकार दें।


पहले वह इस्लाम के नाम पर अरब देशों के निकट गया। काफी समय तक सऊदी अरब से घनिष्ठता रही है। वर्तमान भारत का संबंध अरब देशों से मित्रवत है। प्रधानमंत्री मोदी ने 'लिंक वेस्ट एशिया' के

राजनयिक माध्यम से खाड़ी देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता स्थापित की। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री ने यूएई की तीन बार, सऊदी अरब की दो बार तथा बहरीन, कतर और ओमान की एक बार यात्रा की। आतंकवाद के खिलाफ साझे युद्ध, सुरक्षा, ऊर्जा, विज्ञान, समुद्री सुरक्षा जैसी द्विपक्षीय व बहुपक्षीय समझौते किए गए। परिणाम यह हुआ कि 2016 में सऊदी अरब ने मोदी को अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया था। बहरीन का भी तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 'किंग हमद आर्डर ऑफ रेनशा' प्रधानमंत्री मोदी को दिया। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद पाकिस्तान को वहाँ

धारावाहिक का निर्माण इसके समांतर कर रहा है। जिसका अर्थ है कि अरब तुर्की के सम्प्रदाय को सहन नहीं कर सकता है।

पहचान का संकट

पाकिस्तान की समस्या यह है कि वह 'पहचान के संकट' से गुजर रहा है। पाकिस्तान 1947ई. से पहले भारत था और इसकी उत्पत्ति सम्प्रदाय के आधार पर भारत के विभाजन से हुई है। उसके सामने यह द्वंद है कि वह अपनी जड़ें सिंधुघाटी सभ्यता, तक्षशिला और शारदा



पर कोई समर्थन नहीं मिला। इसलिए पाकिस्तान इस समय तुर्की के निकट जाना चाह रहा है। अनुच्छेद 370 के विषय पर तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब पाकिस्तान स्वयं को तुर्क और ऑटोमन साम्राज्य से जोड़ने की कोशिश में है।

पाकिस्तान भारत को हिन्दू देश मानता है। भारत के इतिहास से अलग करते हुए पाकिस्तान अपने आप को केवल भारत के इस्लामिक शासन से जोड़ता है। अपनी पहचान की खोज में वह इस्लाम को अपनाता है। इसका एक उदाहरण पाकिस्तान की सुरक्षा इसका एक उदाहरण पाकिस्तान की सुरक्षा नीति है। यद्यपि युद्ध का फैसला सैन्य क्षमता और कुशल रणनीति पर निर्भर करता है, फिर पाकिस्तान की सोच समझने के लिए वह आवश्यक है।

है, फिर पाकिस्तान की सोच समझने के लिए यह आवश्यक है। पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्रों का नाम गजनी, गौरी, अब्दाली और बाबर है। वह मोहमद बिन कासिम को अपना नायक मानता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत को लूटा और यहां के नागरिकों पर अत्याचार किया। उस समय पाकिस्तान भारत ही था।

अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, पाकिस्तान पर नहीं। सिंध भारत था। सारांश यह कि पाकिस्तान अपने सभ्यता के आधार को नकारने लगा। सिंधु धाटी की सभ्यता में उसकी जड़ें हैं, इस सत्य से वह नजरें चुराने की कोशिश में है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की जनसंख्या सबसे अधिक है। पंजाब के लोग ही सरकार में प्रभुत्व रखते हैं। सेना, राजनीति और उद्योग में भी पंजाब के लोग ही बहुमत में

है। यह वर्ग नीति-निर्धारक है। अहमद शाह अब्दाली ने सबसे अधिक हत्या, बलात्कार और लूट-पाट पंजाब में ही किया। सबसे अधिक क्षति अब्दाली ने पंजाब प्रांत को ही पहुंचाई। पंजाब में एक कहावत थी कि सब खाकर-पीकर समाप्त होंगे।

पाकिस्तान भारत को हिन्दू देश मानता है। भारत के इतिहास से अलग करते हुए पाकिस्तान अपने आप को केवल भारत के इस्लामिक शासन से जोड़ता है। अपनी पहचान की खोज में वह इस्लाम को अपनाता है। इसका एक उदाहरण पाकिस्तान की सुरक्षा नीति है। यद्यपि युद्ध का फैसला सैन्य क्षमता और कुशल रणनीति पर निर्भर करता है, फिर पाकिस्तान की सोच समझने के लिए वह आवश्यक है...

कर दो, नहीं तो जो बचेगा उसे अब्दाली ले जाएगा, लेकिन भारत-विरोध के अंधेपन के चलते अब्दाली पाकिस्तान का हीरो है।

पाकिस्तान की मांग करने वाले और पाकिस्तान का शुरुआती नेतृत्व करने वाले लगभग सभी लोग उस भूभाग से थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना। वे स्वयं ही पाकिस्तान में शरणार्थी हो गए और मुहाजिर कहलाए। भारत के प्रति उपजा असुरक्षा का भाव उसकी सैन्य नीति का निर्धारक तत्व बन गई। भारत केंद्रित असुरक्षा की अवधारणा की प्रबलता से पाकिस्तान में सैन्य संस्था का प्रमुख स्थान बन गया। यही सोच और समझ पाकिस्तान के प्रति सुरक्षा नीति के लिए उत्तरदायी है। सेना ने राजनीतिक संस्थाओं का इस्लामीकरण कर दिया। इस्लामिक पहचान की स्थापना और

इस्लाम का वैश्विक नेतृत्व पाकिस्तान विदेश नीति का आधार बना। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से सेना सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई। इस प्रकार से इस्लाम और सैन्य व्यवस्था पाकिस्तान की पहचान हो गई। शीतयुद्ध के समय में अमेरिका से गठबंधन

और बाद में चीन के साथ गठबंधन उसके संकट की पहचान करने की क्षमता का परिचायक है। वर्तमान समय में पाकिस्तान की सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता चीन के हाथों में चली गई है।

अब जब जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान को अरब देशों से आपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा, तो वह इस्लाम के तुर्की संस्करण से अपनी पहचान जोड़ रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि तुर्की ने भारत पर 600 वर्षों तक शासन किया

है। यह विजेता का मनोविज्ञान है। तुर्क के साथ जुड़कर वह भारत को हीन दिखाना चाहता है। वास्तविकता यह है कि इर्तुगुल के जरिए उसने अपनी पहचान के संकट को विश्व पटल पर लाकर रख दिया है। सिंध में राजा दाहिर को स्थानीय नागरिकों द्वारा अपना पूर्वज मानने के लिए चलाया जा रहा अभियान हो, या बलूचिस्तान में बलूच पहचान के लिए किया जाने वाला संघर्ष, या फिर इर्तुगुल का प्रसारण, सभी यही बताते हैं कि अपनी पहचान को लेकर पाकिस्तान ने जो झूठ गढ़ा था, अब वह दरक रहा है।

भारतीय मीडिया और सत्ता प्रतिष्ठान पाकिस्तान में बढ़ रहे पहचान के संकट पर क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे, इस पर सभी की नजर रहेगी।

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट महाविद्यालय में सहायक आचार्य हैं।

कोई भी शिल्प अपने समय की कारीगरी, वास्तुकौशल और मेधाशक्ति को रूप मानकर इतिहास के प्रचलित अर्थों से अलग समानांतर व्याख्या करता है। जिस प्रकार शब्द स्वयं में परंपरा और विचारों को समाहित किए रहते हैं, उसी प्रकार कलाओं में रचनाविधान के प्रतीकों और रूपों में तत्कालीन समय का मुहावरा गढ़ा गया होता है...



चित्र : गृहान-इमेज से लागू

दृश्य परंपरा और इतिहास

□ त्रिवेणी प्रसाद तिवारी

कलाएं अपने समय, अपने समाज की मुखर दस्तावेज होती हैं। विधि, माध्यम, रूप-स्वरूप और निर्माण के पीछे संस्कृति के प्रवाह को समेटे कलाएं किसी सभ्यता का सच्चा इतिहास व्यक्त करती हैं। कोई भी शिल्प अपने समय की कारीगरी, वास्तुकौशल और मेधाशक्ति को रूप मानकर इतिहास के प्रचलित अर्थों से अलग समानांतर व्याख्या करता है। जिस प्रकार शब्द स्वयं में परंपरा और विचारों को समाहित किए रहते हैं, उसी प्रकार कलाओं में रचनाविधान के प्रतीकों और रूपों में तत्कालीन समय का मुहावरा गढ़ा गया

गया होता है। उसको बिना लिखित इतिहास के समझना अपनी जड़ों को जानना है। वर्तमान में लिखित इतिहास प्रमाण के रूप में रेखांकित किया जाता है। भारत के संदर्भ में समय को लिखित ब्यौरे के रूप में रखना छोटे दायरे में रखना है। हमारे देश में ज्ञान, विचार की दो परंपराएं रही हैं- एक श्रुति परंपरा, दूसरी दृश्य परंपरा। मौखिक रूप से कंठस्थ किया हुआ शास्त्र, नीति, निष्ठा, पीढ़ियों तक पहुंचता रहा। शास्त्रीयचिंतन, पाठ, दर्शन के अतिरिक्त नृत्य, नाट्य, चित्र-मूर्ति, वास्तु आदि दृश्य परंपरा में आते हैं। नृत्य, नाट्य, भाव, भंगिमाओं और अंगसंचालन की विशेष क्रियाएं हैं। सामयिक जीवन की प्रतिकृति

और जीवनमूल्यों की संस्कृति को धारण किए हुए नाट्य-नृत्य की धारा आज भी प्रवाहित है। ये गतिशील और तुरंत असर डालने वाली विधा है और समाज का व्यक्ति ही स्वयं माध्यम है परन्तु चित्र-मूर्ति इत्यादि अपने स्थूल माध्यमों के कारण जीवनदर्शन को विशिष्ट मुद्राओं से उद्घाटित करता है। समय के थपेड़ों के बीच संस्कृति प्रवाह अक्षुण्ण रखता है। हो सकता है उस स्थान विशेष का समाज राजनीतिक विवशताओं के चलते अपने धार्मिक विश्वासों, आस्थाओं को बदल ले, परन्तु कलाएं किसी आदेशों से, दबावों में अचानक नहीं बदलती, वह अपने मूल अभिव्यक्ति को रखती हुई चलती है। उन्हें

रूप, निर्माण प्रक्रिया का रिवर्स अध्ययन करके हम उस समय को पुनः समझ सकते हैं। भारत के अलावा अन्य देशों, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, इंडोनेशिया में उत्खनन में पाए जाने वाले शिवलिंग, बौद्ध मूर्तियां मंदिर भारत की दृश्य परंपरा का ही अंग है। यह लिखित इतिहास चर्चा से शिल्पकला आगे का जीवंत इतिहास है। वैदिक समय सत्यचिंतन और विचारों के शास्त्रार्थ का काल था। उस समय वाक् और ध्वनियों पर अधिक चिंतन-मनन हुआ। जीवन की सामान्य गतिविधियों को निष्ठापूर्वक जीना कलारूप ही था परन्तु रूप गढ़ना विशिष्ट बोध था। इसीलिए उस समय आराध्यों

**भारतीय
संदर्भ में कलाएं
केवल कौशल और
मनोरंजन ही नहीं हैं बल्कि वह
हमारे ज्ञान, वैचारिकी की दृश्य
विद्या हैं। अतः आराध्य मूर्ति केवल
विशिष्ट ही नहीं है। वह शास्त्रीय
विधान से बनाई गई
प्राणछन्दस्वरूप है...**

के कुछ आकार ही बने। दृश्य कलाएं सभ्यताओं का ऐतिहासिक चरित्र हैं। मंदिर स्थापत्य, दर्शन, कौशल का साभ्यतिक इतिहास है। इस दृष्टि से भारत के इतिहास को समझा तो गया लेकिन अतीत के गौरव की तरह। जबकि जिस आइकनोग्राफी में महान शिल्प रखे गए, वह इस देश की श्रुतिपरंपरा का ही स्वरूप है। आधुनिक कमजर्फ नजरों ने केवल मिथुनमूर्तियां देखीं और अपनी स्वेच्छाचारिता की व्याख्या कर मात्र पर्यटन की वस्तु बना दिया। मूर्तियों के शरीर पर पत्थरों पर उकेरा गया महीन आवरण नहीं देखा, जंघाएं देख लीं।

बाहरी परिप्रेक्ष्य से होते हुए अन्दर ध्यान और मुक्ति के साधन आराध्य की अवधारणा नहीं समझी।

भारतीय संदर्भ में कलाएं केवल कौशल और मनोरंजन ही नहीं हैं बल्कि वह हमारे ज्ञान, वैचारिकी की दृश्य विधा हैं। अतः आराध्य मूर्ति केवल विशिष्ट ही नहीं है। वह शास्त्रीय विधान से बनाई गई प्राणछन्दस्वरूप है। शिल्प-वास्तु की संकल्पना, ज्यामितीय आकलन, गणितीय माप और अलग-अलग शिल्प गढ़ने के उचित प्रमाण, भाव के कारण लिखित इतिहासों से कहीं आगे है। ये शिल्पीय संकल्पनाएं रूढ़ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक किताब ऊपर से आ गई, अब केवल उसके अनुसार ही चलना है। जबकि कालान्तर में विभिन्न विद्वानों ने शिल्पीय कल्पनाओं और



चित्र : गूगल-इमेज से साभार

शास्त्रीयता की पुनर्व्याख्या भी की है। यह हमारा सौभाग्य है कि संस्कृत में कई ग्रंथ आज हमारे पास सुरक्षित हैं, जिसमें शिल्प, वास्तु, कुआं, घर, मंदिर, देव-प्रतिमा इत्यादि के निर्माण की विस्तृत व्याख्या है।

कालक्रमानुसार विभिन्न क्षेत्र की भाषाएं बदल गई हैं। पहनावा, खान-पान और लोकरीतियां भी अलग हैं, लेकिन कलानिर्माण की मूल संकल्पनाएं सभी जगह एक ही हैं। उनकी

चिंतनधारा के केन्द्र में सनातनधर्म के जीवनमूल्य ही अलग-अलग रंगों में बिखरते रहे। लोकानुरूप उनका स्वरूप और भी सरल हुआ। बड़े स्थापत्य भले न हुए हों लेकिन खिलौने, मातृ-देवियों की निर्मिति में तत्कालीन समय की

कारीगरी और कौशल स्वतंत्र रूप से दिखाई पड़ता है। खिलौने के रूप में डौलियाकार बनाए जाने वाले चेहरे, उनको पहनाया गया वस्त्र, सिरछत्र, तरह-तरह के जूँड़े की शैली या फिर छोटे कद, गठीले बदन की यक्षमूर्तियों से उस समय के समाज के बारे में स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है।

कलाएं जीवंत होती हैं उनमें इतिहास के लक्षण मौजूद रहते हैं। किसी सभ्यता के बारे में उत्खनन में मिली मूर्ति, दैनिक कलात्मक वस्तुएं और स्थापत्य से जानकारी प्राप्त होती है। कला और इतिहास का अन्तसंबंध गहरा है। हम दोनों को अलग रख कर संभ्रम की स्थिति में हो सकते हैं। भारत की प्राचीनता का काल इतने पीछे तक है कि पश्चिमी इतिहास की दृष्टि सनातन संस्कृति के अजस्त प्रवाह को स्वीकार ही नहीं कर

सकता। तो क्या हम किसी इन्तजार में उपेक्षित बैठे रहें? इसके लिए आकलन के एक नियम सभी पर लागू नहीं हो सकते। अब तक हम दूसरों की दृष्टि से देखे गए, लिखे गए भारत को पढ़ा-समझा है। जिससे कई संशय बने रह जाते हैं। जो भी शास्त्र सुरक्षित हैं या तो उन्हें प्रमाण मानें या पाश्चात्य कसौटी पर अपनी संस्कृति को परखें। यह द्वन्द्व कला क्षेत्र में अत्यधिक है।

भारत की सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति अवरुद्ध है। जो शिल्प स्थापत्य बचे हुए हैं वे पुराने के नाम पर दर्शनीय हैं, केवल पठनीय नहीं। जबकि सारी विदेशी तकनीकें, विद्वान और कला-पारखी हमारे मन्दिर स्थापत्य की कारीगरी के डी.एन.ए. टेस्ट में लगी हुई हैं...

आजकल आधुनिकता के नाम पर अथवा नया करने के फेर में प्रयोगों का नितान्त आत्मकेन्द्रित रूपैया दिखाई पड़ता है, कलाकारों में। हर कोई नया 'वाद' 'इज्म' ही गढ़ रहा है। चित्र-मूर्ति क्षेत्र के दिग्गज कलाकार निरी भौतिक दृष्टि-रखकर किन्हीं आकारों को ही उलट-पलट रहे हैं।

भारत की सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति अवरुद्ध है। जो शिल्प स्थापत्य बचे हुए हैं वे पुराने के नाम पर दर्शनीय हैं, केवल पठनीय नहीं। जबकि सारी विदेशी तकनीकें, विद्वान और कला-पारखी हमारे मन्दिर स्थापत्य की कारीगरी के डी.एन.ए. टेस्ट में लगी हुई हैं। वे जानते हैं कहीं भारतीय चेतना अपने प्राचीन गौरव को जान न ले इसीलिए विदेशी हिस्ट्री चैनल एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर निर्माण की

अद्भुत क्षमता को किसी एलियन से जोड़ता है। वो संभावना व्यक्त करता है कि कोई एलियन बनाकर चले गए। वरना कठोर ज्वालामुखी से बने चट्टानी पहाड़ों को काटकर इतना बड़ा स्थापत्य समूह बनाना उस समय असंभव था।

इस प्रकार की संशय संभावना हमारी परिकल्पनाओं को रोक देती है, हमें कमज़ोर बना देती है। ऐसी संशयात्मक व्याख्याएं विश्वास पर सवाल खड़े करने की भावना पैदा करती है जिससे भारत के लोगों को अपने गौरव का भान न हो कि हम उन पूर्वजों की ही कड़ी हैं जो इतनी महान कलाक्षमताओं के पुरुषार्थ से भरे थे। यह संशय संभावना हमारी विराट कलाक्षमताओं को कुंदकर उसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मंस बदल देती है।

इतिहास की इस तरह की अधूरी दृष्टि को और बड़ा करना होगा।

हमें कलाओं के जरिए केवल संस्कृति का गुणगान ही नहीं बल्कि तकनीकों, माध्यमों के द्वारा तत्कालीन समाज की कारीगरी और कला मनीषियों के चिंतन को देखना पड़ेगा। तकनीक और कौशल क्या आज के विशालकाय उद्योगों के मानक नहीं हैं?

कौशल में चिंतन के इतने विराट परिप्रेक्ष्य को भारत की इतिहास दृष्टि बनाना चाहिए। इस कौशल आधारित गौरव-भाव से भारत को सामूहिक चेतना को आधुनिक समय के वृहद् शिल्प निर्माण के लिए खड़ा किया जा सकता है। सहस्राब्दियों से खड़े ये अद्भुत मंदिर स्थापत्य वास्तविक भारत को जानने के समय यंत्र हैं, जिसके द्वारा समाज और प्रकृति की सार्थक व्याख्या की जा सकती है।

लेखक कलाचिंतक हैं।

जब आर्गेनाइजर ने लड़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई

FREEDOM OF SPEECH

दिग्जिटल इमेज से साभार

अभिव्यक्ति की आजादी को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की हद तक ले जाने वाले इन राजनीतिक खिलाड़ियों को भारतीय जनता ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, तो इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि जनता को इनके पुराने कारनामे याद थे...

□ सुरजीत सिंह

पिछले 6 वर्षों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राग खूब अलापा जा रहा है। जिन लोगों ने आपातकाल लगाए जाने के पक्ष में खूब नारे लगाए थे, या उसे अनुशासन पर्व माना था, उन्हें भी अभिव्यक्ति की आजादी अचानक खतरे में नजर आने लगी है। अभिव्यक्ति की आजादी को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की हद तक ले जाने वाले इन राजनीतिक खिलाड़ियों को भारतीय जनता ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, तो इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि जनता को इनके पुराने कारनामे याद थे। रही बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की तो इतिहास यह बताता है कि स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति

की स्वतंत्रता की पहली बड़ी लड़ाई आर्गेनाइजर समाचार पत्र ने लड़ी थी।

70 वर्ष पहले तत्कालीन सरकार ने जैसे आर्गेनाइजर की आवाज का गला दबाने की कोशिश की वैसी ही उनकी नियत आज भी बनी हुई है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा अर्नब गोस्वामी के केस में दिया गया निर्णय तो यही संकेत करता है। 70 वर्षों से अपने विरोधियों का स्वर दबाने की लिए सेंसरशिप, राजद्रोह तथा अन्य पुलिस केस करवाने के हथकंडे पूर्व की सरकारें अपनाती रही हैं।

घटना भारतीय संविधान के लागू होने के एक महीने बाद की है। आरएसएस के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आर्गेनाइजर नाम से एक सासाहिक पत्र निकलता है। मार्च 1950 में पत्रिका के प्रिंटर तथा पब्लिशर ब्रज भूषण

शर्मा एवं संपादक के.आर. मलकानी को एक आदेश दिल्ली प्रशासन की तरफ से मिलता है, आर्गेनाइजर पत्रिका के छपने से पहले इसे दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को दिखाया जाना जरूरी है और उक्त अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही इसे छापा जा सकता है।

प्रेस की आजादी या अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने या कम करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें अखबार या पत्रिका को छपने से पहले रोक लगा देना इसमें सबसे खतरनाक भी है क्योंकि इसे 'निपिंग इन द बड' या शुरुआत में ही खत्म करना कह सकते हैं। इसके अलावा प्रसार पर रोक लगा देना या अखबारी कागज मुहैया न करना भी प्रेस की आजादी को रोकने के अन्य तरीके हो सकते हैं जो तब प्रचलन में थे। देश में अभिव्यक्ति की आजादी के बहुत से केस हुए हैं तथा उनमें से कुछ को बहुत प्रचारित भी किया गया है, लेकिन ब्रज भूषण शर्मा बनाम दिल्ली प्रशासन का सर्वोच्च न्यायालय का केस लोगों की नजर में ज्यादा नहीं आ पाया। शायद इसलिए क्योंकि एक ही दिन यानी 26 मई 1950 को सुप्रीम कोर्ट की 6 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, उस समय सुप्रीम कोर्ट में 6 ही न्यायाधीश थे, ने दो मामलों पर अपना निर्णय दिया जो कि प्रेस की आजादी से संबंधित थे। एक था ब्रज भूषण का केस, दूसरा था रोमेश थापर का केस। इन मामलों में जब निर्णय दिए गए तो एक केस की बात को दूसरे केस में कहा गया इसलिए रोमेश थापर केस का तो लोग नाम जानने लगे परन्तु दूसरे केस के बारे में भूल गए।

आर्गेनाइजर के खिलाफ जब 2 मार्च 1950 को पूर्व सेंसरशिप का आदेश दिल्ली प्रशासन ने दिया, उसको पूर्व पंजाब जन

**आर्गेनाइजर
पर जो पाबंदी लगाई
गई थी वह लोक सुरक्षा
कानून के तहत लगाई गई थी
और लोक सुरक्षा या लोक
व्यवस्था संबंधी कोई भी पाबंदी
उस समय की अभिव्यक्ति की
आजादी पर नहीं लगाई जा
सकती थी...**

सुरक्षा कानून जो कि दिल्ली में लागू किया गया था, की धारा 7 के तहत यह कहा गया कि कोई भी राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक खबरें बिना सरकारी अधिकारी की स्वीकृति के आप प्रकाशित नहीं कर सकते। चूंकि ये कानून 1949 में बना था तथा 26 जनवरी 1950 से सभी भारतीयों को अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार के रूप में मिल

गई थी, इसलिए ब्रज भूषण शर्मा तथा के.आर. मलकानी के द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी गई। भारत के संविधान के अनुसार यह अभिव्यक्ति की आजादी पर सरकार की तरफ से एक हमला था तथा उससे केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही न्याय दिला सकता था।

पिटीशनर की तरफ से मुख्य मुद्दा यही था कि बदले परिवेश में जब देश में संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार के रूप में मिली है, उसको एक संविधान लगाने से पूर्व के कानून के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। सरकार का पक्ष यह था कि वादी की तरफ से ऐसी सामग्री प्रकाशित की जा रही है जो जन सुरक्षा, लोक व्यवस्था तथा देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उस समय अनुच्छेद 19 (1)(क) में जो अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार मिलाए वो पूर्ण नहीं था और उस पर कुछ पाबंदियां थीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना तथा मानहानि के कानून से संबंधित थीं। आर्गेनाइजर पर जो पाबंदी लगाई गई थी वह लोक सुरक्षा कानून के तहत लगाई गई थी और लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था संबंधी कोई भी पाबंदी उस समय की अभिव्यक्ति की आजादी पर नहीं लगाई

जा सकती थी। माननीय न्यायालय ने बहुमत से (6 में से 5 न्यायाधीश) यह माना कि पत्रिका पर पूर्व सेंसरशिप एक तरह से प्रेस की आजादी पर पाबंदी है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(क) में जो अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार दिया गया है उसके विरुद्ध है। इसी बात को मानते हुए इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखा और आर्गेनाइजर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्वजवाहक बना और पिछले 70 वर्षों से प्रखर होकर आमजन की बात हम सबके सामने रखता आया है और आज भी बदलते परिवेश में डिजिटल फॉर्मेट में सब तक पहुंच रहा है।

दूसरे केस में, रोमेश थापर की पत्रिका क्रॉस रोड के नाम से प्रकाशित होती थी, का मामला था। उसमें भी यही तर्क दिए गए थे। क्रॉस रोड पत्रिका जल्द ही बंद हो गई लेकिन आर्गेनाइजर आज भी प्रखर रूप से अपनी बात रखती है। ब्रज भूषण तथा रोमेश थापर के फैसले के रूप में जब जवाहरलाल नेहरू सरकार का गैर कानूनी आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया तो नेहरू ने अभिव्यक्ति की आजादी पर दूसरे हमले का मन बना लिया। इन फैसलों के एक वर्ष बाद नेहरू ने भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन लाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया।

इसके द्वारा संविधान में कई बदलाव किए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 19 (1)(क) में अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार पर जो पाबंदिया अनुच्छेद 19 (2) में दी गई हैं उनका विस्तार कर दिया तथा अभिव्यक्ति की आजादी को काफी कम कर दिया। समय-समय पर कांग्रेस की सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी को कमतर किया जाता रहा जिसकी चर्चा हम आगे के अंकों में करेंगे।

**लेखक उच्चतम न्यायालय में
अधिवक्ता हैं।**



मीडिया के चीनी मिशन

□ जयेश मटियाल

बात चाहे ट्रेड वॉर की हो, या उईगर मुस्लिम उत्पीड़न और हांगकांग में चीन के बढ़ते अतिक्रमण पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का आलोचनात्मक रूख, कोरोना वायरस पर चीन को हर मोर्चे पर धोरने की हो या अमेरिका में फैले दंगों पर चीन की प्रतिक्रिया जैसे अनेक मुद्दों ने दोनों देशों को आमने-सामने खड़ा कर रखा है। इस बीच लड़ाई अब मीडिया के मोर्चे पर भी छिड़ गई है...

हालिया वर्षों में अमेरिका और चीन के संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। बात चाहे ट्रेड वॉर की हो, या उईगर मुस्लिम उत्पीड़न और हांगकांग में चीन के बढ़ते अतिक्रमण पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का आलोचनात्मक रूख, कोरोना वायरस पर चीन को हर मोर्चे पर

धेरने की हो या अमेरिका में फैले दंगों पर चीन की प्रतिक्रिया जैसे अनेक मुद्दों ने दोनों देशों को आमने-सामने खड़ा कर रखा है। इस बीच लड़ाई अब मीडिया के मोर्चे पर भी छिड़ गई है।

ट्रम्प प्रशासन ने 22 जून को चार चीनी मीडिया आउटलेट्स को यह कहते हुए फौरेन मिशन घोषित किया है कि 'वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी

के मुख्यपत्र हैं’। जिनमें चाइना सेंट्रल टेलीविजन, चाइना न्यूज सर्विस, द पीपल्स डेली और द ग्लोबल टाइम्स शामिल हैं। स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टगस के अनुसार ‘पिछले एक दशक से खासतौर पर शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी समाचार एजेंसियों, चैनलों, अखबारों को चीन के प्रोपगेंडा आउटलेट के रूप में स्थापित किया है और उन पर अधिक व प्रत्यक्ष नियंत्रण है।’

चीनी मीडिया के आउटलेट्स को अब अमेरिका में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। फॉरेन मिशन एक्ट के अन्तर्गत विदेशी दूतावास पर जो नियम लागू होते हैं, वही नियम इन आउटलेट्स पर भी लागू होंगे।

इन आउटलेट्स को अब अपने कर्मियों के नामए व्यक्तिगत सूचना, अमेरिका में चीनी मीडियाकर्मियों की संपर्तियों का पूरा विवरण और संस्थान के टर्नओवर की पूरी जानकारी तथा रियल एस्टेट होल्डिंग्स की सूची यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को नियमित तौर पर रिपोर्ट करनी होगी। साथ ही संयुक्त राज्य में इन आउटलेट्स के कर्मियों की संख्या कितनी होगी, यह भी स्टेट डिपार्टमेंट तय करेगा।

अमेरिका और चीन के बीच मीडिया वाँ पिछले कई महीनों से चल रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने मार्च में कहा था कि ‘बीजिंग में लंबे समय से पत्रकारों को डराया और परेशान किया जा रहा है’ जिस कारण प्रमुख चीनी मीडिया आउटलेट्स के अमेरिकी कार्यालयों में पत्रकारों की संख्या में कमी की जा रही है। जवाब में, चीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट के कई अमेरिकी पत्रकारों को चीन से निष्कासित कर दिया...

अमेरिका और चीन के बीच मीडिया वाँ पिछले कई महीनों से चल रहा है।
अमेरिकी अधिकारियों ने मार्च में कहा था कि ‘बीजिंग मार्च में लंबे समय से पत्रकारों को डराया और परेशान किया जा रहा है’ जिस कारण प्रमुख चीनी मीडिया आउटलेट्स के अमेरिकी कार्यालयों में पत्रकारों की संख्या में कमी की जा रही है। जवाब में, चीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट के कई अमेरिकी पत्रकारों को चीन से निष्कासित कर दिया...

मीडिया आउटलेट्स के अमेरिकी कार्यालयों में पत्रकारों की संख्या में कमी की जा रही है।

जवाब में, चीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट के कई अमेरिकी पत्रकारों को चीन से निष्कासित कर दिया।

यह दूसरी बार है कि चीनी मीडिया पर अमेरिका ने फॉरेन मिशन एक्ट लगाया गया। इससे पहले फरवरी में चीन की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी सिन्हुआ, चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क (सीजीटीएन), चाइना रेडियो, चाइना

डेली डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन और हाई तेअन डेवलपमेंट यूएसए को विदेशी सरकारी अधिकारियों के रूप में मानाए जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत राजनयिकों के समान नियमों के अधीन हैं। बकौल मॉर्गन ऑर्टगस ‘ये नौ चीनी मीडिया संस्थाएं फॉरेन मिशन एक्ट के अन्तर्गत आती हैं क्योंकि इन पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार का नियंत्रण है और यह विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियां हैं।’

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार हाल के कई वर्षों से, अमेरिकी अधिकारियों द्वारा चीनी समाचार संगठनों की बढ़ती संख्या पर सख्त वीजा पारस्परिकता और अमेरिका में चीनी मीडिया के आउटलेट को विदेशी दूतावास घोषित करने पर चर्चा चलती रही है, क्योंकि बीजिंग ने विदेशी पत्रकारों को जारी वीजा और उनके निवास परमिटों को सीमित करना शुरू कर दिया था।

यह पहली बार नहीं है, जब अमेरिका ने अपने हितों के लिए विदेशी आउटलेटों को फॉरेन मिशन घोषित किया हो।

इससे पहले भी शीत युद्ध के दौरान फॉरेन मिशन के रूप में सोवियत मीडिया आउटलेटों को नामित किया गया था। यह घटनाक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को दर्शाता है, जो विभिन्न मुद्दों और विवादों के बाद पैदा हुए हैं, जहां लड़ाई अलग सिरे से लड़ी जा रही है।

जो यह संदेश दे रहा है कि चीनी मीडिया पत्रकारिता का नहीं, बल्कि चीन सरकार का प्रतिनिधि है।

लेखक युवा पत्रकार हैं।

द जज

The
Judge

‘द जज’
पश्चाताप और
आत्मगलानि की
एक ऐसी कहानी है,
जिसने वर्तमान काल
में हिंदू एवं अन्य
समुदायों की महिलाओं
के खिलाफ चलाए
जा रहे अभियान को
बड़ी संजीदगी के
साथ प्रस्तुत
किया है...

‘स्वाई को दिखाने का साहसी प्रयास’ **‘द जज’**

□ दिनेशा अत्रि

सजग एवं साहसी फिल्म निर्देशक जीतू आरवमुदन ने ‘द जज’ फिल्म बनाकर लव जिहाद की समस्या को जीवंत रूप में सामने लाने की एक जोरदार कोशिश की है। इसी फिल्म में उन्होंने तथाकथित सेक्युलरिज्म और उसके पैरोकार बुद्धिजीवियों के चेहरे से नकाब हटाने का प्रयास किया है। ‘द जज’ पश्चाताप और आत्मगलानि की एक ऐसी कहानी है, जिसने वर्तमान काल में हिंदू एवं अन्य समुदायों की महिलाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया है। लगभग एक घंटे की इस कहानी के सभी किरदार अपनी भूमिका के साथ न्याय करते दिखे। सबसे अहम किरदार है जज का। सारी कहानी संजीव जोशी नाम के इस जज के ईर्द-गिर्द घूमती है। संभवतः इसी कारण फिल्म का नाम ‘द जज’ रखा गया है। सेक्युलरिज्म और बुद्धिजीवियों की बात करने वाले जज साहब शुरू में ही बड़ी गंभीरता के साथ बताते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता न केवल हमारे लिए, अपितु पूरे देश के लिए भी गलत संकेत है, क्योंकि यह हमारी देश की पंथनिरपेक्षता के खिलाफ है। उसी जज के सम्मुख एक हिंदू लड़की का

मामला आता है, जिसका नाम अवंतिका चौधरी है। वह लड़की एक मुस्लिम लड़के एजाज शेख के प्यार के चंगुल में फँसकर अपने पिता की बात को नकारते हुए उस मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने की जिद पकड़े रखती है।

तीसरा किरदार अवंतिका के पिता का है। इस

मामले को लेकर वह जज

साहब से व्यक्तिगत तौर

पर मिलकर बहुत

सारे समाचार पत्रों

की कटिंग

दिखाते हैं कि

किस तरह लव

जिहाद की

शिकार हुई

लड़कियों की हत्या

कर दी जाती है। वह

पिता जज से प्रार्थना करता

है कि आप आदर्श हैं, आप ही

मेरी बेटी का मार्गदर्शन कीजिए।

इस पर जज साहब पंथनिरपेक्षता का पाठ

पढ़ाते हुए कहते हैं कि जिन बातों को मैं

ही नहीं मानता ए उन बातों को मैं कैसे

अवंतिका को समझा सकता हूँ। तब

अवंतिका के पिता कहते हैं कि अगर मेरी

बेटी की जगह आपकी बेटी होती तो आप

क्या करते? इस पर जज साहब कहते हैं

कि मैं आपको कटूरवादी मूर्ख समझता हूँ,

जिसे धर्म के आगे इंसानियत नहीं

दिखती। जज साहब केस का फैसला

सुनाते हुए शादी की सहमति देकर पूरे

देश को पंथनिरपेक्षता का संदेश देते हैं।

उसके बाद जो होना था, वही हुआ।

निकाह के 10 दिन बाद आयशा का

(निकाह के बाद अवंतिका चैधरी का

बदला हुआ नाम) अर्द्धनग्न शव प्राप्त होता

है। उसकी हत्या उसके पति एजाज शेख

द्वारा की जाती है, जो कि पहले से दो बार

शादीकर चुका था।

इस फिल्म ने एक सामाजिक हकीकत को सामने लाने का सार्थक प्रयास किया है, जिसके तहत मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर-मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण करवाने के लिए प्रेम का नाटक किया जाता है। आज यह एक विश्वव्यापी मुद्दा बना हुआ है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आ

चुकी है। लव जिहाद को अगर

हम दूसरे शब्दों में 'बेटी

बच्चाओं, बहू लाओं'

योजना भी कह

सकते हैं। हम

सबके मन में एक

सामान्य सा प्रश्न

उठता है कि लव

जिहाद करने और

करवाने वालों का

उद्देश्य क्या है? इसके

पीछे राजनीतिक,

मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक

कारण हैं। इन कारणों से स्वतः ही धीरे-

धीरे जनसांख्यिकी में परिवर्तन होगा और

यह परिवर्तन राजनीतिक प्रणाली में

भयानक सिद्ध होगा। धीरे-धीरे पूरे देश

का इस्लामीकरण करना ही इन जिहादियों

का उद्देश्य है। न्यायपालिका के समक्ष यह

मामला पहली बार 2009 में आया था।

तब केरल उच्च न्यायालय ने एक लंबी

जिरह के बाद निष्कर्ष निकाला कि लव

जिहाद का मामला वास्तव में है और

इसकी आड़ में जबरदस्ती धर्मांतरण

करवाया गया है। ऐसी घटनाएं तब से

लेकर आज तक निरंतर बढ़ती ही जा रही

हैं। आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते

रहते हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं करने पर

मॉडल के साथ की मारपीट। लव जिहाद

के नाम पर बेरहमी से हत्या। धर्म नहीं

बदला तो मुस्लिम पति ने घर से

निकाला। ऐसी कितनी ही घटनाएं हम

अपने आसपास में होते हुए देखते हैं, परंतु

फिर भी हम सब देखकर खामोश रहते हैं, क्योंकि यह घटनाएं दूसरे के घर में होती हैं। जब तक अपने घर में कोई घटना न घटे, तब तक हम सतर्क नहीं होते। भारत के साथ-साथ कई दूसरे देशों की लड़कियां और महिलाएं इसकी चपेट में आ चुकी हैं। बहुत सारे पाठकों को तो 2014-15 में केरल में हुई लव जिहाद की घटनाएं याद ही होंगी। उनकी जांच एनआईए ने की थी। उसमें भी निष्कर्ष निकला था कि इसके पीछे आतंकी संगठन आईएसआई का हाथ है और वह इसके लिए मुस्लिम लोगों को फंडिंग करते हैं। 2020 की बहुत सारी घटनाएं जिसमें एक महक कुमारी का अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर अत्याचार किया। उसके लिए ब्रिटेन में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और भारतीय प्रवासियों ने जस्टिस फॉर महक कुमारी के नाम से अभियान चलाकर विरोध-प्रदर्शन किया और कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं।

भारत में कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी पंथनिरपेक्षता और कानून की आड़ में लव जिहाद जैसी दुष्प्रतियों को बढ़ावा देते आए हैं। यहां सवाल उठता है कि क्या हम और आप सिर्फ कानून के न्याय पर ही टिके रहेंगे या फिर अपने बच्चों के हित में उनकी परवरिश में लाड़-प्यार के साथ सतर्कता भी रखेंगे? हम सभी को अपने बच्चों को इस तरह से संस्कार देने चाहिए कि वे मानसिक रूप से इतने सशक्त बन जाएं कि कभी भी कोई उनको बहला-फूसला न सके। खुद को बुद्धिजीवी मानने वालों को भी इन घटनाओं पर निष्पक्ष रूप से मंथन करना चाहिए और समाज का सही मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि फिल्म के अंत में जज की तरह उनके जीवन में भी पश्चाताप ही न रह जाए।

**भारत
में कुछ तथाकथित
बुद्धिजीवी पंथनिरपेक्षता और
कानून की आड़ में लव जिहाद
जैसी दुष्प्रतियों को बढ़ावा देते आए हैं।
यहां सवाल उठता है कि क्या हम और आप सिर्फ कानून के न्याय पर ही टिके रहेंगे या फिर अपने बच्चों के हित में उनकी परवरिश में लाड़-प्यार के साथ सतर्कता भी रखेंगे?**

कीबोर्ड करेज

कम्प्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग करने वालों के लिए एक कहावत आमतौर पर उपयोग की जाती है। 'वह हर व्यक्ति ज्यादा हिमतवाला होता है, जब वह कीबोर्ड के पीछे छिपकर खुद को अभिव्यक्त कर रहा होता है।' शब्द कीबोर्ड करेज इसी कहावत को विस्तार से परिभाषित करता है...



□ रविन्द्र सिंह भड़वाल

डिजिटल होती दुनिया में कीबोर्ड करेज एक ऐसी टर्म है, जिसने कम्प्यूटर एवं इंटरनेट उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया है। इसके बावजूद सीमित प्रचलन के कारण बहुत से लोग इससे अब तक अनजान ही हैं। कम्प्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग करने वालों के लिए एक कहावत आमतौर पर उपयोग की जाती है। 'वह हर व्यक्ति ज्यादा हिमतवाला होता है, जब वह कीबोर्ड के पीछे छिपकर खुद को अभिव्यक्त कर रहा होता है।' शब्द कीबोर्ड करेज इसी कहावत को विस्तार से परिभाषित करता है।

कम्प्यूटर स्क्रीन और कीबोर्ड के माध्यम से बहादुरी दिखाना, जो कि असल जीवन में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण होता ही नहीं है, कीबोर्ड करेज कहलाता है। इस दौरान वह व्यक्ति इंटरनेट के विभिन्न सोशल मंचों पर लिखते वक्त साहसपूर्ण होने का द्यूठा दंभ भरता है, जबकि असल जीवन में वह व्यक्ति वैसा बिलकुल भी नहीं होता है।

अपने जीवन के एक उदाहरण को लेकर इसे सरल ढंग समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ समय पहले हमने रामायण के रावण को आदर्श रूप में स्थापित करने वाले एक एजेंडे को उद्घाटित करने के लिए शृंखला के तहत अपने फेसबुक अकांडट से पोस्ट करना शुरू किया। मेरे एक फेसबुक मित्र को वह

नागवारा गुजरा और उन्होंने उस पोस्ट पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं। जब हद ही हो गई, तो असल जीवन के रिश्ते की परवाह करते हुए हमने वो पोस्ट डिलीट कर दी। उसके कुछ समय बाद उन्हीं मित्र से मिलना हुआ। मन में वही पुरानी बात खटक रही थी तो उनसे पूछ ही लिया। उस पर उनकी शाब्दिक एवं देहभाषा के रूप में मिली प्रतिक्रिया बेहद हैरान करने वाली थी। उस बात पर वह जवाब देने से बच रहे थे और इस तरह दर्शा रहे थे कि मानों सोशल मीडिया पर उस पोस्ट को लेकर दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्हें मेरे किसी सवाल का जवाब देने का साहस न हुआ। तब मेरे समक्ष उस मित्र के दो चेहरे थे। पहला वो जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा था और दूसरा प्रत्यक्षतः मेरे समक्ष मौजूद था। इन दोनों चेहरों के बीच का फर्क कीबोर्ड करेज ही निर्धारित करता है।

आज सूचनाओं के क्षेत्र में फेक न्यूज एक सामान्य सी अवधारणा बन चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा के मीडिया तक दोनों ही इसके शिकार नजर आते हैं। कहना गलत न होगा कि कीबोर्ड करेज ने भी फर्जी खबरों को तैयार करने और उन्हें तेज गति के साथ प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल किसी भी व्यक्ति के लिए यह मुश्किल होता है कि वह दूसरे व्यक्ति के सामने जाकर कोई झूठ बोल दे। इसके उलट एक कीबोर्ड और कम्प्यूटर स्क्रीन की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के बीच झूठ फैलाना कहीं सरल काम है। झूठ को फैलाने का मकसद पूरा होने या फिर झूठ पकड़े जाने

पर किसी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए अकसर उसे इंटरनेट से हटा भी दिया जाता है। मगर अपनी अप्रत्याशित गति के कारण वह झूठ तब तक बहुत सा नुकसान पहुंचा चुका होता है।

फेक न्यूज फैलाने के अलावा कीबोर्ड करेज का सबसे ज्यादा नुकसान सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों को हुआ है। तर्क-वितर्क का यह ऑनलाइन मंच सबको अपनी बात रखने का समान अवसर देता है। संवाद को सार्थक बनाने वाली यही खासियत बहुत से मामलों में

फेक न्यूज फैलाने के अलावा कीबोर्ड करेज का सबसे ज्यादा नुकसान सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों को हुआ है। तर्क-वितर्क का यह ऑनलाइन मंच सबको अपनी बात रखने का समान अवसर देता है। संवाद को सार्थक बनाने वाली यही खासियत बहुत से मामलों में मुश्किलें भी पैदा कर देती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है असहमतियां। असहमतियां होना गलत नहीं हैं...

मुश्किलें भी पैदा कर देती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है असहमतियां। असहमतियां होना गलत नहीं है। असहमतियों में ही तो संवाद की खूबसूरती छिपी होती है। लेकिन जब हम अपनी असहमतियों की तरह दूसरों की असहमतियों का सम्मान करना भूल जाते हैं, तो टकराव की स्थिति पैदा होती है। ऊपर से कीबोर्ड करेज वैसे भी मनोवैज्ञानिक साहस तो प्रदान कर ही रहा होता है। यहीं से शुरू होता है ट्रोलिंग, निजी हमलों, घटिया एवं गैर जिम्मेदार टिप्पणियों और लानत-मलानत का सिलसिला। वैसे तो साहसी होना एक सकारात्मक गुण है, लेकिन वर्णित कमियों के कारण कीबोर्ड करेज एक अवगुण माना जाता रहा है।

हालांकि हर व्यक्ति, वस्तु या विचार का नकरात्मक के साथ-साथ कोई न कोई सकारात्मक गुण भी होता है। कीबोर्ड करेज का भी एक महत्वपूर्ण गुण है। समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें खुद को अभिव्यक्त करने का मौका नहीं मिल पाता।

इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटा होता है, जो उनके कहने का साहस छीन लेता है। वे लोग उस दबाव तले इस कदर दब जाते हैं कि फिर अपनी बात बोलकर

सबके सामने रखने में खुद को असमर्थ सा महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसी परिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जो घर में सबसे छोटे होते हैं। उन्हें अकसर अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता। कीबोर्ड करेज इन गुमनाम आवाजों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बना है। इस साहस के कारण यह वर्ग संवाद की प्रक्रिया में शामिल हो सका है।

कीबोर्ड करेज और एल्कोहोल में एक बड़ी खास समानता है। दोनों ही चीजें व्यक्ति को कृत्रिम साहस प्रदान करती हैं और दोनों के ही उपभोग में एक सीमा आती है जब ये विनाशकारी बन जाते हैं। कीबोर्ड करेज संवाद के क्षेत्र में उपयोगी साबित हो सकता है यदि इसका इस्तेमाल निजी हमलों या आपसी टकराव के बजाय सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में किया जाए। बेहतर हो कि यदि किसी विषय पर लोगों के दिलो-दिमाग में असहमतियां हैं, तो सम्मानपूर्वक ढंग से सुलझाने की खुद में हिम्मत पैदा करें। तभी वह उपयोगी है, फिर चाहे वह साहस कोई सा भी हो।

लेखक युवा-पत्रकार और मीडिया-शोधार्थी हैं।

Banned Chinese App



एप्स प्रतिबंधः

पता चल गया है चीन की जान किस तोते में बसती है!

10 वर्ष पहले तक इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि एप्स को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, एप्स को बैन करना भी युद्ध का अहम हिस्सा बन जाएगा। आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सोशल मीडिया साइट्स आपकी अभिव्यक्ति का साधन भर नहीं हैं, बल्कि उनका सीधा संबंध राष्ट्र की सुरक्षा से भी है...

□ मौनस तलवार

भारत-चीन के मध्य हुए हालिया सीमासंघर्ष के चलते 59 चायनीज एप्स को बैन किए जाने के बाद चीन पहली बार चिंतित हुआ। वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि चीन इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित है।

इससे पहले चीन पूरी तरह आक्रामक मुद्रा अपनाए हुए था। एप्स बैन किए जाने के बाद उसे व्यापार के वैश्विक नियमों की याद आई, उसने निजता के कानून की दुहाई दी और इससे भी अधिक यह कि वह भारतीय हितों को लेकर फिक्रमंद हुआ। ग्लोबल टाइप्स की

तरफ से इस घटनाक्रम के बाद एक रोचक टिप्पणी आई थी कि भारत सरकार का यह कदम भारतीय हितों के अनुकूल नहीं है।

10 वर्ष पहले तक इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि एप्स को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, एप्स को बैन करना भी युद्ध का अहम हिस्सा बन जाएगा। आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सोशल मीडिया साइट्स आपकी अभिव्यक्ति का साधन भर नहीं हैं, बल्कि उनका सीधा संबंध राष्ट्र की सुरक्षा से भी है। इसीलिए जब 59 चीनी एप्स के ऊपर बैन लगाया गया, तो कई लोगों ने

सवाल उठाए कि एप्स बैन करने से क्या हो जाएगा? इससे चीन को मामूली आर्थिक नुकसान के अतिरिक्त और किसी तरह का घाटा नहीं होगा। उनके इस तर्क का उत्तर तो कुछ दिनों बाद ग्लोबल टाइम्स ने खुद ही दे दिया कि अकेले टिकटॉक को बैन करने से टिकटॉक की पैरेंट कम्पनी को 6 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा।

इस आंकड़े को रणनीतिक-परिप्रेक्ष्य में रखकर समझने की कोशिश की जाए तो एप्स बैन की घटना की अहमियत समझ में आती है। यह राशि भारत और रूस के बीच घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एस-400 के लिए हुए समझौते में खरीद की राशि के लगभग बराबर है। एस-400 के समझौते और इसका भारत आना कितना निर्णयिक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी मीडिया और सत्ता-प्रतिष्ठान कई बार यह कह चुका है कि एस-400 मिलने के बाद भारत-पाक के बीच कायम शक्ति-संतुलन एकदम से भारत की तरफ झुक जाएगा। यह वही एस-400 है, जिसको जल्दी देने के भारत के आग्रह पर चीन ने रूस से आपत्ति दर्ज कराई थी। इस परिप्रेक्ष्य में टिकटॉक को बैन लगाने की प्रक्रिया को समझने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत ने कितना बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।

एप्स बैन के कारण चीन को हुआ आर्थिक नुकसान एक पक्ष है। इसके कारण भारत ने पूरी दुनिया को एक बहुस्तरीय मैसेज दिया है। यह मैसेजिंग कितनी प्रभावी है,

इसका आकलन भारत में ठीक ढंग से नहीं किया गया। भारत ने एप्स प्रतिबंधित करके एक झटके में पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि चीन की तकनीक सुरक्षा के लिहाज से अविश्वसनीय है। चीन की छवि को अविश्वसनीय और संदिग्ध पहले

दावेदारी को मजबूत किया है। गलवान के संघर्ष का षड्यंत्र चीन ने इसलिए रचा था ताकि विश्व को यह संदेश दिया जा सके कि भारत कमजोर है और नई विश्वव्यवस्था में चीन ही एशिया का नेतृत्व करेगा, भारत ने एप्स बैन कर चीन के दांव को उलट दिया।

रोचक बात यह है कि अभी तक भारत में यह उदाहरण दिया जाता था कि अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए फलां कदम उठा सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते?

इजगायल अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? एप्स प्रतिबंधित करने की घटना ने इस तर्क को उलट कर रख दिया। अमेरिका में यह मांग उठी कि भारत एप्स को प्रतिबंधित कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? भारत के निर्णय के बाद अमेरिका ने हुवई को प्रतिबंधित किया और बाद में ब्रिटेन ने भी इस दिशा में कदम उठाए।

एप्स प्रतिबंधित करने के निर्णय और उसके प्रभाव इस बात की तस्दीक करते हैं कि युद्ध अब कितना जटिल हो चुका है, डिजिटल स्पेस युद्ध के अहम और निर्णयिक मैदान में तबदील हो चुका है। युद्ध की इस नई शैली में विजय उसी को हासिल होगी, जिसे शत्रु के मर्मस्थलों और शक्ति केन्द्रों की सटीक जानकारी होगी। नीतिगत स्तर पर इन मर्मस्थलों पर प्रहार कर रक्त की एक बूँद गिराए बगैर शत्रु को औंधे मुंह गिराया जा सकता है। भारतीय नेतृत्व ने फिलहाल यह साबित किया है कि उसे चीन के नाजुक मर्मस्थल का पता है, उसे पता है कि चीन की जान किस तोते में बसती है और उस पर कैसे और कब वार करना है।

भारत और चीन के बीच

चल रहे संघर्ष का एक मुख्य

कारण वैश्विक-नेतृत्व पर दावेदारी भी है और एप्स प्रतिबंधित करने की परिघटना के जरिए भारत ने अपनी दावेदारी को मजबूत किया है। गलवान के संघर्ष का षड्यंत्र चीन ने इसलिए रचा था ताकि विश्व को यह संदेश दिया जा सके कि भारत कमजोर है और नई विश्वव्यवस्था में चीन ही एशिया का नेतृत्व करेगा, भारत ने एप्स बैन कर चीन के दांव को उलट दिया...

से भी माना जाता रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे देश भी औपचारिक और नीतिगत स्तर पर कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। चीन का दबाव उन पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। भारत ने चीनी दबाव की चादर को एक झटके में छिन्न-भिन्न कर दिया। साथ ही नीतिगत-स्तर पर वैश्विक-नेतृत्व के लिए दावा ठोंका। भारत और चीन के बीच चल रहे संघर्ष का एक मुख्य कारण वैश्विक-नेतृत्व पर दावेदारी भी है और एप्स प्रतिबंधित करने की परिघटना के जरिए भारत ने अपनी